



ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):309-315

भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकार के प्रति सशक्तिकरण का अध्ययन सीमा विश्वकर्मा एवं पूजा तिवारी

समाजशास्त्र विभाग,
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
कोटवा-जमुनीपुर-दुबावल, प्रयागराज (उ०प्र०)
Email: seema2671995@gmail.com

Received: 13.02.2025 Revised: 26.04.2025 Accepted: 12.05.2025

सारांश

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक का एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में हो रहा है महिलाओं का आधा हिस्सा हमारे देश की आबादी का है अतः अधिकार के प्रति सशक्त होना निश्चित है इस दिशा में लगातार जोरदार प्रयास किया जा रहा है भारत में महिला कल्याण संबंधी गतिविधियों का संस्थागत ढांचा और संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही महिलाओं के अधिकार के प्रति तथा आर्थिक रूप से स्वालंबी आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है जिसमें वह कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो और विकास कार्यों में यह उनकी भागीदारी हो सके। सामान्य परिपेक्ष में महिला सशक्तिकरण का अर्थ "महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त संपन्न बनना है किंतु व्यापक परिपेक्ष में इनका अभिप्राय सशक्त प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं के समान अधिकार एवं जिम्मेदारी से है " दिल्ली घोषणा (2008)

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, अधिकार एवं साझेदारी, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक सुरक्षा, भारत का संविधान, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये हैं जिससे महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर सम्मान बढ़ा है और उनकी प्रस्थिति में भी सुधार हुआ है। महिला को सशक्त करने में हमारे भारत के संविधान ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान महिलाओं के पक्ष में 'दहेज प्रतिषेध

अधिनियम, भरण-पोषण संबंधी कानून, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निरोधक कानून, समान पारिश्रमिक अधिनियम, परिवार न्यायालय अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम और अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जैसे अनेक कानून बने हैं जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित अधिकार और तरीके हो सकते हैं:

अधिकार

1. शिक्षा का अधिकार: महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।
2. काम का अधिकार: महिलाओं को काम का अधिकार देने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है।
3. स्वास्थ्य का अधिकार: महिलाओं को स्वास्थ्य का अधिकार देने से उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद मिल सकती है।
4. राजनीतिक भागीदारी का अधिकार: महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर मिल सकता है।

महिलाओं के अधिकारों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है, कानूनों का उचित क्रियान्वयन और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है शिक्षित होने से भारतीय समाज की कई बुराइयां को दूर करने में सहायता मिल सकती है जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि और सुसंस्कृत नारी भावी पीढ़ी को सुधार सकती है साथ ही महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है तथा वह अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान कर स्वच्छता के बारे में जागरूक कर आती है और उसका पालन पोषण करती है, महिलाओं को कानूनी समर्थन प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आई है वह अपने बारे में सोचने लगी है उन्हें महसूस किया कि घर से बाहर भी जीवन है जो महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है उनके व्यक्तित्व में निखार आया है महिलाएं ना कि वह सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय कॉलेज में ही जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही

हैं एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हूँ वायुसेना और नौसेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं ,महिलाओं को सामाजिक समर्थन प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है इससे उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह स्वयं को पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कम समझती है वह कुछ भी नहीं कर सकती। महिला आंदोलन का एक नारा है कि "ना मेरा शरीर ना ही किस्मत मेरी" यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ जैविक कार्य मात्र महिलाओं ही कर सकती हैं लेकिन लिंग भेद का कोई मुद्दा नहीं होता है इस बात पर यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक प्रशंसा को चुनौती देने की आवश्यकता है ।महिला संगठनों की स्थापना करने से महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है अपने कार्मिक योग्यताओं का विकास करना चाहिए और ध्यान अभ्यास द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिकता तथा शक्तियां संचित करनी चाहिए एक सशक्त महिला को स्वयं पर गौरव होता है उसे अच्छा लगता है कि वह एक महिला है

अधिकार को सशक्त बनाने की लिए उद्देश्य

1. महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना: महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।
2. महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना: महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है।
3. महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाना: महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
4. महिलाओं के लिए सामाजिक समर्थन बढ़ाना: महिलाओं के लिए सामाजिक समर्थन बढ़ाने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है।

विभिन्न ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न कार्यों में महिलाओं की स्थिति अलग-अलग रही है-

- वैदिक-काल हिन्दू समाज में महिलाओं की प्रस्थिति अत्यंत उच्च अवस्था में थी उन्हें समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उन्हें शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पत्नी परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी उसे अर्धांगिनी का दर्जा प्राप्त था। महिला के बिना धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था 'शतपथ ब्राह्मण ' आदि ग्रंथों में भी महिला को अर्धांगिनी माना गया है।
- मध्यकालीन युग मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति में और अधिक गिरावट आ गई। इस काल में महिला की शिक्षा का प्रायः लोप हो गया। सती प्रथा ने अधिक और पकड़ लिया। बाल विवाह होने लगे तथा विधवा विवाह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गया। एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी रखना प्रतिष्ठा समझा जाने लगा। इस काल में महिलाओं की स्थिति में इतनी गिरावट आ

गई कि उसे एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा। जिसे पुरुष अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार अपने उपयोग में ला सकता था। इस युग में मुख्य रूप से महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अंतर्विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली ऐसे कारण माने गये, जिनसे महिलाओं की प्रस्थिति में अत्यधिक गिरावट आ गई। उनकी समाजिक एवं सामूहिक गतिविधियों में सहभागिता पूर्ण रूप से समाप्त सी हो गई। महिलाओं की प्रस्थिति की दृष्टि से यह काल सदा के लिए भारतीय संस्कृति पर काला धब्बा बन कर रह गया।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक का युग भारत के इतिहास में मध्य युग के रूप में जाना जाता है। इस युग में विशेषकर मुगलों के शासनकाल में स्त्रियों की स्थिति पतन की ओर अग्रसर हुई। स्त्रियों की स्थिति की दृष्टि से यह युग हिन्दुओं के सामाजिक इतिहास में एक काला युग माना जाता है।

• आधुनिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को दो रूपों में समझा जा सकता है-

(1) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की प्रस्थिति (2) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति

(1) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किये गये। 1829 ई. में सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1856 में हिन्दू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, 1937 में हिन्दू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम आदि विधान, इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास रहे, परन्तु इस काल में महिलायें अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक परिस्थितियों का शिकार रहीं। इस काल में महिलाओं की निम्न प्रस्थिति बनाये रखने में अशिक्षा आर्थिक पराधीनता, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथाओं में आदि कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब बातों के बावजूद यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो गया था। इसी काल में महिला शिक्षा एवं रोजगार को मान्यता मिलनी प्रारंभ हो गयी थी। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था जो उनकी सामुदायिक सहभागिता का सूचक माना जाता है। इस दौरान ही स्त्रियों को अपनी शक्ति और समर्थ का एहसास हुआ, इससे उनमें नई चेतना का विकास हुआ तथा यही चेतना बाद में स्त्रियों की प्रगति का आधार बनी।

(2) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उनकी स्थिति में तेजी से सुधार आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा स्त्रियों के पक्ष में कई ऐसे अधिनियम बनाये गये जिन्होंने नारी की स्थिति में एकाएक परिवर्तन ला दिया। जिसके फलस्वरूप नारी ने समाज एवं पारिवारिक जीवन की कई कुरीतियों से वैधानिक मुक्ति पाई, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास की ठोस जमीन पर लाकर खड़ा किया।

स्त्री-पुरुषों में किसी भी प्रकार कोई भेद नहीं करता है। अर्थात् हमारा संविधान न तो पुरुषों का पक्ष लेता है और न ही महिलाओं का विरोध करता है। जिस तरह संविधान की नजर में स्त्री पुरुष समान है, उसी प्रकार महिलाओं के पक्ष में बने कानूनों में भी उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिलाकर उनके लिए समुचित न्याय का प्रबंध किया है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् ही महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, जो कि आज वर्तमान में बढ़कर एक नये रूप में देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, जो कि आज महिलाओं के सशक्त होने में एक अहम् भूमिका मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती महिलाओं की भागीदारी में विकास योजनाओं का प्रमुख योगदान रहा है।

निष्कर्ष -

भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकार के प्रति सशक्तिकरण का अध्ययन करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

सकारात्मक परिवर्तन

1. शिक्षा में वृद्धि: महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
2. कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि: महिलाओं की कामकाजी संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली है।
3. राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर मिला है।

चुनौतियाँ

1. लिंग भेदभाव: भारतीय समाज में अभी भी लिंग भेदभाव की समस्या है, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा: महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या अभी भी गंभीर है, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए डरना पड़ता है।
3. आर्थिक असमानता: महिलाओं को अभी भी आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

सशक्तिकरण के लिए सुझाव

1. शिक्षा और जागरूकता: महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।
2. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में मदद मिल सकती है।
3. कानूनी समर्थन: महिलाओं को कानूनी समर्थन प्रदान करने से उन्हें अपने अधिकारों के लिए

न्याय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

परिवार के संबंध में उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। परिवार के बिना सभ्य मानव समाज की कल्पना करना असंभव है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, जिसमें परिवार की विद्यमानता न रही हो। मनुष्य अपने जीवन का प्रारम्भ परिवार द्वारा ही करता है और उसी से अपने अन्तर्निहित गुणों का विकास करता है। सभ्यता उन्नत होने की स्थिति में जबकि समाज का रूप अत्यन्त जटिल एवं व्यापक हो गया है, फिर भी परिवार के महत्व में कमी संदर्शित नहीं होती है। परिवार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाला, सामाजिक निष्ठा का आरोहण करने वाला स्थल है। गृहस्थ धर्म अन्य सभी धर्मों से महत्वपूर्ण है। महर्षि व्यास के शब्दों में 'गृहस्थेव हि धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते' अर्थात् गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का आधार है। गृहस्थी में कोई संविधान, कानून, सैनिक शक्ति या दण्ड विधान नहीं होता, सभी परस्पर सहयोगात्मक जीवन जीते हैं। इसीलिए परिवार में आपसी संबंध किसी दण्ड के भय से या कानून के दबाव पर नहीं निभाए जाते, बल्कि संस्कारों पर निर्भर होते हैं। परिवार में सभी व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति सशक्तिकरण का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। "षणात्मक अध्ययनविश्लेषः महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार" जिसमें उनके संवैधानिक, इस पुस्तक में महिलाओं के अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गई है और विधिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है।

महिलाओं के अधिकार

संवैधानिक अधिकार : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 23-24, 39 और 42 में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

विधिक अधिकार: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष कानूनों के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम।

महिलाओं के लिए पारित अधिनियम : विभिन्न समयों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई अधिनियम पारित किए गए हैं, जैसे कि समान वेतन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम।

संदर्भ:

दिल्ली घोषणासशक्तिकरण और लिंग समानता पर दिल्ली घोषणा महिला .(2008) .।
देसाई, एस. (2017). लिंग भेदभाव और महिला सशक्तिकरण. महिला अध्ययन पत्रिका, 22(1),

1-15।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (2019). काम पर महिलाएं: एक आईएलओ संग्रह।

अंतर-संसदीय संघ. (2020). महिलाओं की संसदीय भागीदारी।

जैन, एस. (2019). महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण. राजनीति विज्ञान पत्रिका, 25(2), 123-140।

कुमार, आर. (2018). महिला शिक्षा और सशक्तिकरण. शिक्षा पत्रिका, 23(1), 16-30।

राष्ट्रीय महिला आयोग. (2018). वार्षिक रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2020). अपराध रिपोर्ट।

ऑक्सफैम इंडिया. (2020). महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय।

शर्मा, ए. (2020). कामकाजी महिलाएं और आर्थिक सशक्तिकरण. अर्थशास्त्र पत्रिका, 30(1), 45-60।

यूएन वुमेन. (2020)।

विश्व बैंक. (2019). विश्व विकास रिपोर्ट।

प्रीति सतपथी, "महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार: विश्लेषणात्मक अध्ययन"।

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.